# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/75 भिलाई, दिनांक 26.12.24

प्रति,

1. सर्व विभाग प्रमुख,
   .....................................................
2. जोन आयुक्त,
   जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5
3. कार्यपालन अभियंता,
   वाहन शाखा/77 एम.एल.डी./उद्यान,
   नगर पालिक निगम, भिलाई।

**विषय :–** कार्यालय में अपने कर्त्तव्य पर निर्धारित कार्य अवधि में उपस्थित रहने के संबंध में।

**संदर्भ :–** छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 1–3/2012/1/5 दिनांक 02.02.2022

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख्य है, कि संदर्भित आदेशानुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कार्यालयों के कार्यावधि के संबंध में पूर्व जारी आदेश को अधिकृमित करते हुए राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्य अवधि सुबह 10:00 से सायं 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में पूर्व में नगर पालिक निगम, भिलाई में परिपत्र जारी किया गया है।

प्रायः देखा गया है, कि विभागों में अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन अवधि पर उपस्थित नही रहते है जिससे विभागीय कार्य संचालन/संपादन समयावधि पर नही होता है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में पुनः निर्देशित किया जाता है, कि कार्यालयीन अवधि पर (भोजन अवकाश को छोड़कर) विभाग में उपस्थित रहकर कार्यो का निर्धारित समय पर निराकरण कराया जायें, विभाग से संबंधित कार्यो का किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई